संख्या-352/2018/341/22-2-2018-17(358)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 अप्रैल, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नसीम पुत्र श्री कुर्बान अहमद, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान पते का जनपद सिद्धार्थनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7301/प्रोबे0-5/दयायाचिका/1033 दिनांक 26-02-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी नसीम पुत्र श्री कुर्बान अहमद, निवासी-ग्राम मो-छावनी, थाना-दरगाह शरीफ, जनपद-बहराइच वर्तमान पता-ग्राम-नौगढ़डीह, थाना-सिद्धार्थनगर जनपद-सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 21.03.1995 को 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-144/1999 में भा0द0वि0 की धारा-498, 304बी0 तथा 4-दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट टैक कोर्ट संख्या-1, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 24.03.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 02 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त। बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2017 तक 10 वर्ष 11 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 07 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नसीम(बन्दी संख्या-46827) पुत्र श्री कुर्बान अहमद, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान पते का जनपद सिद्धार्थनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-352/2018/341(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बहराइच / सिद्धार्थनगर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in